2018/00098

App-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार-2018

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी **मुकाम-रावतभाटा**

भगवतीलाल .... बनाम .... भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा

किस्म मुकदमा ...... प्रार्थना पत्र 136 LR Act ..... नं. ..... 47 ..... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
07/05/2018	प्रार्थी भगवतीलाल पिता भैरु गुर्जर ने राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्रा.पं. तम्बोलिया में आयोजित शिविर में अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केसरपुरा पटवार मण्डल तम्बोलिया की जमाबंदी सम्वत 2070-73 खाता सं. 14 में उसका नाम भागुता पिता भैरु दर्ज है जबकि पहचान दस्तावेजों में भगवतीलाल पिता भैरु दर्ज है। अत: पहचान दस्तावेजों के अनुसार सम्मान जनक शब्द भगवतीलाल अंकित करवाने के आदेश फरमावें। तहसीलदार रावतभाटा ने अपनी जाँच रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का भागुता के स्थान पर सम्मानजनक नाम भगवतीलाल किया जाना उचित है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दस्तावेजों तथा रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। इस राय तहसीलदार रावतभाटा ग्राम केसरपुरा प० ह० तम्बोलिया की जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता सं. 14 में अंकित प्रार्थी का नाम भागुता पिता भैरु के बजाय भगवतीलाल पिता भैरु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **रावतभाटा**	ता.कि. क्रमांक/राजस्व/कैम्प/26 7/5/18

Scanned by CamScanner